

मंत्रिमण्डल

मंत्रिमंडल ने पंजाब के खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए फूड कैश क्रेडिट- लीगेसी खातों (फसल सत्र 2014-15 तक) के निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दी

Posted On: 06 MAR 2017 9:57PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए पंजाब सरकार के लीगेसी फूड कैश क्रेडिट खातों (फसल सत्र 2014-15 तक) को निपटाने के लिए अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने व्यय विभाग के इस प्रस्ताव को 02.01.2017 को रूल्स 1961 के नियम 12 (व्यापारिक लेनदेन) के तहत अनुमोदन किया था।

लीगेसी मुद्दों के जल्द निपटारे से बैंकों को राज्य के किसानों के व्यापक हित में खाद्य ऋण वितरण में मदद मिलेगी और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज खरीद कार्यक्रम को निर्बाध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। पंजाब सरकार द्वारा मियादी ऋण का लाभ उठाकर कैश क्रेडिट लिमिट्स (सीसीएल) खाते के बकाये को निपटाने से ब्याज भुगतान के रूप में बचत होगी। इससे अतिरिक्त संसाधन सृजित होंगे जिससे पंजाब सरकार को पूंजीगत खर्च करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

पंजाब सरकार द्वारा खाद्य खरीद कार्यक्रमों के संचालन के लिए लीगेसी फूड कैश क्रेडिट खातों (फसल सीजन 2014-15 तक) का निपटारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

- 1) खरीफ विपणन सत्र 2014-15 तक पंजाब सरकार के कैश क्रेडिट खातों में बकाया रकम करीब 31,000 करोड़ रुपये को मियादी ऋण में परिवर्तित किया जाएगा। इसे पूर्व-भुगतान के विकल्प के साथ 20 साल की अविध के दौरान छमाही किश्तों में चुकाना होगा। ऋण के नियमों व शर्तों का निर्धारण आरबीआई और ऋणदाता बैंकों द्वारा किया जाएगा।
- 2) ऋण की सटीक रकम 31.03.2015 के अनुसार बकाया रकम होगी जो अनाजों के स्टॉक द्वारा सुरक्षित नहीं है। एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पंजाब सरकार और आरबीआई सहित सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद रकम को अंतिम रूप देना होगा।
- 3) 14वें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए उसकी आवंटन अवधि 2015-20 के लिए राजकोषीय रूपरेखा निर्धारित की है और सभी राज्यों के राजकोषीय घाटे की वार्षिक सीमा राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3 प्रतिशत निर्धारित की है। चालू वित्त वर्ष 2016-17 में पंजाब सरकार को विस्तारित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपरोक्त मियादी ऋण को 2016-17 में पंजाब सरकार के राजकोषीय घाटे के दायरे में नहीं रखा जाएगा।
- 4) लीगेसी खातों को लंबी अवधि के ऋण में बदलने के बाद पंजाब सरकार केवल लंबी अवधि के ऋण की अदायगी के उद्देश्य से बॉन्ड जारी कर सकता है। हालांकि यह बैंकों के कंसोटियम और आरबीआई की मंजूरियों पर निर्भर करेगा। बॉन्ड जारी होने के बाद ऋण के सवैपिंग के लिए केंद्र सरकार उसी वर्ष अपनी सवीकृति जारी करेगी।
- 5) पंजाब सरकार आरबीआई और केंद्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्ष्ार करेगी जिसके तहत केंद्र सरकार को अपरिवर्तनीय रूप से प्राधिकृत किया जाएगा कि यदि पंजाब सरकार निर्धारित तिथि के भीतर मियादी ऋण के मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार वह रकम केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से घटाकर एसबीआई कंसोटियम को भुगतान कर देगी।
- 6) यह लीगेसी खातों में 2014-15 तक के बकाये के निपटारे के लिए एक बारगी उपाय होगा। भविष्य में सीसीएल अंतर के संचय से बचने के लिए पंजाब सरकार अपने वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान करेगी ताकि सीसीएल अंतर को नियमित आधार पर पाटा जा सके। वह मियादी ऋण का पुनर्भुगतान अपने संसाधानों से करने के लिए अपने सब्सिडी बिल को कम करने के लिए प्रयास भी करेगी।

AKT/VBA/SH/SKC

(Release ID: 1483982) Visitor Counter: 10

f







in